



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 14-01-2021

दिनांक 13/14-01-2021 को रात्रि थाना पारा 01, गाजीपुर 02, आटियाना 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 पूर्वी

जुआ खेलते समय गिरफ्तार

थाना कैण्टः-दिनांक 13-01-2021 को एस0आई0 श्री मो0 हारून थाना कैण्ट लखनऊ थाना कैण्ट द्वारा अभियुक्त 01-जसवीर सिंह पुत्र स्व0 गुरुचरन सिंह निवासी-326 सुभाष मोहाल सदर थाना कैण्ट लखनऊ 02-विनोद पुत्र स्व0 मदन लाल निवासी 922 लकडी मोहाल थाना सदर कैण्ट लखनऊ 03-रामकेश पुत्र शिवशकर निवासी पप्पू वर्मा के मकान मोहनगंज थाना कैण्ट लखनऊ मूल पता वीरमपुर त्रिलोक उस्मानपुर बाराबंकी 04-सद्दाम पुत्र मुईन निवासी 573 बूचड मोहाल सदर कैण्ट लखनऊ को आपस में रूपये की हारजीत की बाजी लगाकर ताटा के पत्तों द्वारा जुआ खेलते समय सार्वजनिक स्थान सदर कैण्ट ओवरब्रिज के नीचे रेलवे पटरी के पास पुरानी पुलिस चौकी के पीछे कैण्ट से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से मालफड रू0 3000/- रूपये, ताटा के 52 अदद पत्ते व जामातलाशी में 1850/-रूपये बरामद कर थाना कैण्ट पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त गिरफ्तार

थाना आशियानाः-दिनांक 14-01-2021 को थाना आटियाना द्वारा बताया गया कि वादी निवासी आटियाना थाना आटियाना लखनऊ द्वारा थाना आटियाना पर अपनी नाबालिक पुत्री के सम्बन्ध में धारा 354/504/506 भादवि व 7/8 पाकसो एक्ट का अभियोग बनाम अमित तिवारी के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना महिला एस0आई0 श्रीमती अतृक्षणा यादव थाना आटियाना लखनऊ द्वारा की जा रही है, विवेचना के दौरान दिनांक 13-01-2021 को महिला एस0आई0 श्रीमती अतृक्षणा यादव थाना आटियाना द्वारा उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभियुक्त 01-अमित तिवारी पुत्र स्व0 कृष्ण कुमार तिवारी निवासी सेक्टर-ओ मानसरोवर योजना थाना आटियाना लखनऊ को सेक्टर ओ, मानसरोवर योजना आटियाना से गिरफ्तार कर थाना आटियाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

भा0द0वि0

थाना पारा:-दिनांक 14-01-2021 को थाना पारा द्वारा बताया गया कि श्रीमती मोहनी पत्नी लेखपाल मूलपता-उदयपुर मेहवा थाना सदर कोतवाली लखीमपुर जनपद लखीमपुर हालपता-पाल कालोनी बुद्धेवर थाना पारा लखनऊ ने थाना पारा पर सूचना दिया कि दिनांक 13-01-2021 को उसके पति लेखपाल ने किराये के मकान में फांसी लगा लिया है जिससे उसकी मृत्यु हो गयी है। इस सूचना पर एस0आई0 श्री बेचू यादव मो0नं0- 9936744030 द्वारा आवंट्यक कार्यवाही की जा रही है, जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक के परिवार का कहना है कि मृतक द्वारा दिनांक 13-01-2021 को समय करीब 08.00 बजे रात्रि को कमरे की छत में लगे कुण्डे में साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया, जिससे उसके पति लेखपाल उम्र करीब 35 वर्धा की मृत्यु हो गयी। मृतक मजदूरी करता था, मृतक के 02 पुत्री व 01 पुत्र है।